फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2022-23

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
5055 800 89 8901 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु निर्भया फण्ड से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश-42-अन्य व्यय।	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
5055 800 97 9701 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9701-सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम-24-वृहत निर्माण कार्य।	300.00	300.00	300.00	203.81	96.19
योग-	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**803.81**	**96.19**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059 01 051 19 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-19-संभागीय परिवहन कार्यालय कानपुर में भूमि क्रय एवं भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य।	200.00	526.16	308.81	308.81	508.81

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4059 01 051 20 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन -051-निर्माण-20-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य।	400.00	991.19	591.19	495.00	895.00
योग -	**600.00**	**1517.35**	**900.00**	**803.81**	**1403.81**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

क- व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना निर्भया फण्ड के माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 मे राज्यांश के रूप में रू 600.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। योजना के क्रियान्वयन में कन्सलटेन्ट का चयन तथा प्रदेश मुख्यालय में नियंत्रक कक्ष की स्थापना का कार्य प्रारम्भ है। इन कार्यो पर होने वाले व्यय का वहन केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि रू 419.20 लाख से शासन से प्राप्त अनुमति के क्रम में किया जा रहा है। योजना पूर्ण रूप से गतिमान न हो पाने के कारण राज्यांश के रूप में प्रावधानित धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सम्भावित न होने के कारण।

ख- उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार तथा वर्ल्ड बैंक के मध्य ऋण अनुबन्ध दिनांक 11.10.2019 को हस्ताक्षरित किया गया है। प्रोजेक्ट दिनांक 30.06.2025 तक विधिमान्य है। इस प्रोजेक्ट में परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यो (5 जनपदो में आई0 एण्ड सी0 सेन्टर की स्थापना) का प्राविधान किया गया है। कन्सल्टेन्ट संस्था का चयन न हो पाने तथा जिला स्तर पर निःशुल्क भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाने के कारण प्रावधानित धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सम्भावित न होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

क- संभागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-55/2021/1137/30-3-21-10बी/2018, दिनांक 14.06.2021 द्वारा कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। शासनादेश संख्या-114/2022/2077/तीस-3-22-10बी/2018, दिनांक 17.11.2022 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू 526.16 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रू 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), कानपुर नगर के पत्र संख्या 274/सा0प्रशा0/भवन/अनुरक्षण/ 2023, दिनांक 16.03.2023 के साथ संलग्न कार्यदायी संस्था के गुणवत्ता एवं उपभोग प्रमाण-पत्र के अनुसार अवमुक्त धनराशि रू 200.00 लाख के सापेक्ष रू 199.48 लाख का उपभोग किया जा चुका है तथा वर्तमान में स्वीकृत लागत की अवशेष धनराशि रू 326.16 लाख की मांग कार्यदायी संस्था द्वारा किये जाने तथा जिस पर सम्बन्धित परिवहन अधिकारी द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के कारण।

ख- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 87/2020/632/30-3-2020, दिनांक 04.12.2020 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिरषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या 44/2021/ 353/30-3-2021, दिनांक 30.03.2021 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू 991.19 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रू 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में किन्ही कारणोवश इस कार्य हेतु मूल बजट प्रावधान स्वीकृत न हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या 95/2022/1353/001-1353-30-3-2022, दिनांक 03.08.2022 द्वितीय किस्त रू 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। कार्यदायी संस्था के पत्रांक 1085/वाई-6/06, दिनांक 07.09.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू 400.00 लाख का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। जिलाधिकारी, शामली के पत्र संख्या 424/अनु0/2022-23, दिनांक 16.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति के सत्यापन हेतु निरीक्षण उनके द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किया गया, किन्तु धनराशि के अभाव में निर्माण सम्बन्धी कार्य की प्रगति अवरूद्ध है। जिलाधिकारी, शामली द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि रू 591.19 लाख अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी अनुरोध किये जाने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-RE-budget-1-589-E-9-430-X-2022-23, दिनांक 23-03-2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-22/2023/842(1)/तीस-3-2023 दिनॉक 23 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।